SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY



National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner - 334006 (Rajasthan)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल - बीकानेर - 334006 (राजस्थान)

दिनांक 15.06.2021 को प्रात: 11.00 बजे वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 105वीं बैठक के कार्यवृत्त।

निम्न सदस्यो ने ऑनलाईन बैठक में भाग लिया :-

1.	प्रो॰ आर॰पी॰ सिंह,	अध्यक्ष
	कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	
2.	डॉ॰ आनन्द पालीवाल,	सदस्य
	अधिष्ठाता, विधि संकाय, मोहल लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं	
	माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	
3.	डॉ॰ जी॰एन॰ परिहार,	सदस्य
	पूर्व निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा	
	नामनिर्देशित विख्यात वैज्ञानिक	
4.	डॉ॰ रमन कुमार दवे,	सदस्य
	आचार्य, वाणिज्य विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं माननीय	
	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	
5.	श्री अशोक चौधरी,	सदस्य
	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्रगतिशील किसान	
6.	डॉ॰ राम केवल सिंह,	
	सहायक महानिदेशक (वाणिज्यिक फसल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई	सदस्य
	दिल्ली एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामनिर्देशित	
7.	श्री हरि शंकर मीणा,	112111
	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान), पंथ कृषि भवन, जयपुर (प्रतिनिधि आयुक्त	सदस्य
	कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर)	
8.	डॉ॰ पी॰एस॰ शेखावत,	सदस्य
	निदेशक अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	
9.	डॉ॰ (श्रीमती) विमला डुंकवाल,	सदस्य
	अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।	
10.	डॉ॰ राजेश शर्मा,	सदस्य
	आचार्य एवं अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	
11.	डॉ॰ पी॰के॰ यादव,	सदस्य
	आचार्य, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर	
12.	डॉ॰ वी॰ एस॰ आचार्य,	सदस्य
	सह-आचार्य, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर	

उत्तमा वृत्तिस्तु कृषिकर्मैव



 श्रीमती मंजू कंवर राठौड़, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर। सदस्य

14. पवन कुमार, वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

आमंत्रित सदस्य

15. इंजी. विपिन लड्ढ़ा, विशेषाधिकारी कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

विशेष अमांत्रित

16. कपूर शंकर मान, आरुण्ण्याः कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर


सदस्य सचिव

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव (कृषि), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), प्रमुख शासन सचिव (पशुपालन), राजस्थान सरकार एवं संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं लिया गया।

बैठक के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय कुलसचिव ने प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों को बैठक में जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया। कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में 9 फरवरी 2021 को ऑनलाईन बैठक आयोजित करने हेतु आदेश प्रसारित किया गया था परन्तु प्रबन्ध मण्डल के कुछ सदस्यों की राय के अनुसार 20 अप्रेल 2021 को प्रबन्ध मण्डल की बैठक ऑफ लाईन आयोजित करने का आदेश प्रसारित किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी।

इसके उपरान्त प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपित ने प्रारंभिक उद्बोधन में प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया। सर्वप्रथम डॉ० जी.एन.पिरहार, पूर्व निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ० आनन्द पालीवाल, अधिष्ठाता, विधि संकाय, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं डॉ० रमन कुमार दवे, आचार्य, वाणिज्य विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का नये सदस्य के रूप में मनोनित होने पर स्वागत किया गया तथा श्री अशोक चौधरी, प्रगतिशील किसान को राज्य सरकार द्वारा पुन: सदस्य मनोनीत होने पर उनका भी स्वागत किया गया व श्री पवन कुमार कस्वां का वित्त नियत्रंक का भी स्वागत किया गया। साथ ही श्री विनोद कुमार, माननीय विधायक (हनुमानगढ), प्रो० एच०एस०शर्मा, पूर्व विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, डॉ० बजरंग ककरालिया, निदेशक प्रसार शिक्षा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर एवं श्री बी.एल. सर्वा, पूर्व वित्त नियत्रंक का उनके द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में की गई सेवाओं की भी सराहना की गई।

प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपित ने सदन को अवगत कराया कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक विश्वविद्यालय सभागार में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के साथ ही होनी चाहिए जिससे की महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अधिक प्रभावी ढ़ंग से चर्चा हो सके और सभी सदस्यों से व्यक्तिगश: मिलना भी हो सके। भविष्य में आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक ऑफ लाईन बीकानेर में करवाने के प्रयास किये जायेगे। साथ ही प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया कि प्रबन्ध मण्डल की इस बैठक की समस्त कार्यवाही रिकॉर्ड की जा रही है जिसकी (रिकॉर्डिंग की) प्रति बैठक कार्यवाही विवरण के साथ सभी सदस्यों को प्रेषित की जाऐंगी। साथ ही विश्वविद्यालय कुलपित ने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तीन नये कृषि महाविद्यालयों हनुमानगढ, चॉदगोठी (चुरू) व मण्डावा (झुंझनू) के लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय एवं क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया।





13. श्रीमती मंजू कंवर राठौड़, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।

सदस्य

14. पवन कुमार, वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

आमंत्रित सदस्य

15. इंजी. विपिन लड्ढ़ा, विशेषाधिकारी कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

विशेष अमांत्रित

16. कपूर शंकर मान, आरुण्ण्याः कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

सदस्य सचिव

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव (कृषि), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), प्रमुख शासन सचिव (पशुपालन), राजस्थान सरकार एवं संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं लिया गया।

बैठक के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय कुलसचिव ने प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों को बैठक में जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया। कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में 9 फरवरी 2021 को ऑनलाईन बैठक आयोजित करने हेतु आदेश प्रसारित किया गया था परन्तु प्रबन्ध मण्डल के कुछ सदस्यों की राय के अनुसार 20 अप्रेल 2021 को प्रबन्ध मण्डल की बैठक ऑफ लाईन आयोजित करने का आदेश प्रसारित किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी।

इसके उपरान्त प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपित ने प्रारंभिक उद्बोधन में प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया। सर्वप्रथम डॉ० जी.एन.पिरहार, पूर्व निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ० आनन्द पालीवाल, अधिष्ठाता, विधि संकाय, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं डॉ० रमन कुमार दवे, आचार्य, वाणिज्य विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का नये सदस्य के रूप में मनोनित होने पर स्वागत किया गया तथा श्री अशोक चौधरी, प्रगतिशील किसान को राज्य सरकार द्वारा पुन: सदस्य मनोनीत होने पर उनका भी स्वागत किया गया व श्री पवन कुमार कस्वां का वित्त नियत्रंक का भी स्वागत किया गया। साथ ही श्री विनोद कुमार, माननीय विधायक (हनुमानगढ), प्रो० एच०एस०शर्मा, पूर्व विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, डॉ० बजरंग ककरालिया, निदेशक प्रसार शिक्षा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर एवं श्री बी.एल. सर्वा, पूर्व वित्त नियत्रंक का उनके द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में की गई सेवाओं की भी सराहना की गई।

प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपित ने सदन को अवगत कराया कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक विश्वविद्यालय सभागार में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के साथ ही होनी चाहिए जिससे की महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अधिक प्रभावी ढ़ंग से चर्चा हो सके और सभी सदस्यों से व्यक्तिगण: मिलना भी हो सके। भविष्य में आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक ऑफ लाईन बीकानेर में करवाने के प्रयास किये जायेगे। साथ ही प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया कि प्रबन्ध मण्डल की इस बैठक की समस्त कार्यवाही रिकॉर्ड की जा रही है जिसकी (रिकॉर्डिंग की) प्रति बैठक कार्यवाही विवरण के साथ सभी सदस्यों को प्रेषित की जाऐंगी। साथ ही विश्वविद्यालय कुलपित ने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तीन नये कृषि महाविद्यालयों हनुमानगढ, चॉदगोठी (चुरू) व मण्डावा (झुंझनू) के लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय एवं क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया।

fund



बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय पारित किये गये।

मद संख्या	विवरण	
स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1396	104वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।	
	माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 104वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	
स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1397	104वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने बाबत्।	
	माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 104वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।	
स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1398	55वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 08.02.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।	
	विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 55वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 08.02.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। साथ ही मद सं० स्वाकेराकृवि/ एसी-55/2021-1/393(1) में यह भी पारित किया गया कि श्री गंगानगर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव	
	राज्य सरकार को भिजवाया जाए। (कार्यवाही: कुलसचिव)	
स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1399	विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत्। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि की गई।	
स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1400	कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत पात्र सहायक आचार्य, चयनित ग्रेड़ से सह-आचार्य (ग्रेड़ पे 8000/- से 9000/-) पद पर पदोन्नित का लाभ प्रदान करने के लिए प्रोफार्मा एवं स्कोर कार्ड के प्रारूप का अनुमोदन करने बाबत्। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत पात्र सहायक आचार्य, चयनित ग्रेड़ से सह-आचार्य (ग्रेड़ पे 8000/- से 9000/-) पद पर पदोन्नित का लाभ प्रदान करने के लिए प्रोफार्मा एवं स्कोर कार्ड के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। (कार्यवाही: कुलसचिव)	





विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रबन्ध मण्डल बैठकों में वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में संभागीय आयुक्त को आमंत्रित करने के संबंध में।

माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठकों में वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में संभागीय आयुक्त को आमंत्रित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1402 श्री राधाकृष्ण यादव क्लर्क ग्रेड़-॥, कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, बीकानेर को माननीय प्रबन्ध मण्डल की बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-94/2016-2/1286 दिनांक 22.08.2016 व मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-103/2019-2/1382 दिनांक 04.09.2019 में पारित निर्णय पर पुन: विचार किये जाने बाबत्।

प्रकरण में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कुल सचिव ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में पूर्व में प्रबन्ध मण्डल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में लिया गया निर्णय राज्य सरकार के नियमों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के भी विरूद्ध होने से प्रबन्ध मण्डल के ऐसे निर्णय का पूनरावलोकन (रिट्यू) कर प्रबन्ध मण्डल को विधि अनुरूप पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करने का अधिकार है। कुलसचिव द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में जारी विधि विरूद्ध निर्णय को निरस्त कर विधि अनुरूप आदेश पारित करने के पक्ष में पुरजोर अभिमत प्रकट किया।

वित्त नियंत्रक द्वारा भी कहा गया कि कोई निर्णय अगर पूर्व में गलत हो गया है तो उसकी समीक्षा व अपील की जा सकती है।

इस प्रकरण में कुलसचिव व वित्त नियंत्रक को छोड़कर शेष अन्य सदस्यों ने यह अभिमत व्यक्त किया कि हम इस प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में जारी निर्णय की समीक्षा कर निरस्त करने के पक्ष में नहीं है लिहाज़ा उक्त कार्यसूची का अनुमोदन नहीं किया जाता है।

इस पर प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपित द्वारा उक्त कार्यसूची को बहुमत से निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया।

साथ ही कुलसचिव व वित्त नियंत्रक को छोड़कर शेष अन्य सदस्यों ने यह पारित किया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा यदि किसी प्रकरण में कोई निर्णय पारित कर दिया जाता है तो उसे पुन: विचार /पुन: निर्णय लेने हेतु प्रकरण भविष्य में प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ नही रखा जाए।

(कार्यवाही : कुलसचिव)





श्रीमती सरला गुलबानी, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक को माननीय प्रबंध मण्डल के मद संख्या स्वाकेराकृवि/ बोम-94/ 2016-2/1287 दिनांक 22.08.2016 में पारित निर्णय पर पुनः विचार किये जाने बाबत्।

प्रकरण में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कुलसचिव ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में पूर्व में प्रबन्ध मण्डल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। जिसे कि ऑडिट द्वारा भी आक्षेपित किया गया है। अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में लिया गया निर्णय राज्य सरकार के नियमों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के भी विरूद्ध व ऑडिट से आक्षेपित होने से प्रबन्ध मण्डल के ऐसे निर्णय का पूनरावलोकन (रिव्यू) कर प्रबन्ध मण्डल को विधि अनुरूप पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करने का अधिकार है। कुलसचिव द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में जारी विधि विरूद्ध निर्णय को निरस्त कर विधि अनुरूप आदेश पारित करने के पक्ष में पुरजोर अभिमत प्रकट किया।

वित्त नियंत्रक द्वारा भी कहा गया कि कोई निर्णय अगर पूर्व में गलत हो गया है तो उसकी समीक्षा व अपील की जा सकती है।

इस प्रकरण में कुलसचिव व वित्त नियंत्रक को छोड़कर शेष अन्य सदस्यों ने यह अभिमत व्यक्त किया कि हम इस प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में जारी निर्णय की समीक्षा कर निरस्त करने के पक्ष में नही है लिहाज़ा उक्त कार्यसूची का अनुमोदन नहीं किया जाता है।

इस पर प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपित द्वारा उक्त कार्यसूची को बहुमत से निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया।


साथ ही कुलसचिव व वित्त नियंत्रक को छोड़कर शेष अन्य सदस्यों ने यह पारित किया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा यदि किसी प्रकरण में कोई निर्णय पारित कर दिया जाता है तो उसे पुन: विचार /पुन: निर्णय लेने हेतु प्रकरण भविष्य में प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ नहीं रखा जाए।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1404 दिनांक 28.12.2020 को वर्चुअल मोड पर आयोजित प्रसार सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।

माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिनांक 28.12.2020 को वर्चुअल मोड पर आयोजित प्रसार सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : निदेशक प्रसार शिक्षा)





दिनांक 28.12.2020 को वर्चुअल मोड पर आयोजित अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।

माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिनांक 28.12.2020 को वर्चुअल मोड पर आयोजित अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : निदेशक अनुसंधान)

स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1406 माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वर्ष 2021-22 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 83 के क्रम में हनुमानगढ़, बिन्दु संख्या 318 के क्रम में मण्डावा (झुन्झुनू) एवं चांदगोठी (सार्दुलपुर) चूरू में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत संघटक कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा पर चर्चा हेतु।

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बजट घोषणा में हनुमानगढ, मण्डावा (झुन्झूनू) एवं चांदगोठी (सार्दुलपुर) चूरू में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संघटक कृषि महाविद्यालयों को खोलने की घोषणा पर विश्वविद्यालय कुलपति ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मा०कृषि मंत्री महोदय, श्री विनोद कुमार, मा०विधायक, हनुमानगढ, सुश्री रीटा चौधरी, मा० विधायक, मण्डावा, श्रीमति कृष्णा पूनियां, मा० विधायक सार्दुलपुर एवं क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। विश्वविद्यालय कुलपति ने प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा तीनो कृषि महाविद्यालयों के लिये शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी हैं, जिन्हें जल्द ही भरने का प्रयास किया जायेगा साथ ही 600.00 लाख रूपये प्रत्येक महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर राशि आवंटन का प्रस्ताव के लिये निर्देशित किया हैं। श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर ने संबंधित जिला कलक्टरों को स्वीकृत नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपयुक्त 30.00 हैक्टयर भूमि का आवंटन अतिशीध्र कराने की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर कार्यवाही जल्द ही होने की सम्भावना हैं । कुलपति ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय ने तीनों नवीन कृषि महाविद्यालयों के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं व सीट मैट्रिक्स की सूचना भी श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज दी हैं जिससे सत्र 2021-22 में ही नवीन कृषि महाविद्यालयों को छात्र आवंटित हो जायेगें और 2021-22 से सत्र प्रारम्भ हो जायेगा। कुलपित ने साथ ही प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि उन्होंनें विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ हनुमानगढ, मण्डावा (झुन्झुनू) एवं चांदगोठी (सार्दुलपुर) चूरू में भ्रमण करके वहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त स्थानों पर जब तक कृषि महाविद्यालयों का भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वैकल्पिक रूप से रिक्त राजकीय भवन या प्राइवेट भवन में महाविद्यालय प्रारम्भ करने की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सत्र 2021-22 से नवीन कृषि महाविद्यालयों में समय पर सत्र शुरू कर दिया जायेगा। प्रबन्ध मण्डल सदस्य श्री अशोक चौधरी आदि ने विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा इस बाबत् किये गये प्रयासो की सराहना की।

(कार्यवाही : कुलसचिव)





and Makes			
स्वाकेराकृवि/बोम-105/	विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत्।		
2021-1/1407	माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि की गई ।		
स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1408	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत हनुमानगढ़, मण्डावा (झुन्झुनू) एवं चांदगोठी (सार्दुलपुर) चूरू में स्थापित किये गये नए कृषि महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों का विषय निर्धारण करने हेतु गठित समिति से प्राप्त अनुशंषा का अनुमोदन करने बाबत्। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा हनुमानगढ़, मण्डावा (झुन्झुनू) एवं चांदगोठी (सादुलपुर) चूरू में स्थापित किये गये नए कृषि महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों का विषय निर्धारण करने हेतु गठित समिति से प्राप्त अनुशंषा का अनुमोदन किया गया । (कार्यवाही: कुलसचिव)		
स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1409	कृषि विज्ञान केन्द्रों में सीनीयर साईन्टिस्ट कम हैड़, विषय वस्तु विशेषज्ञ, प्रोग्राम सहायक (कम्प्यूटर), प्रोग्राम सहायक (लैब टेक्नीश्यिन), फार्म मैनेजर, सहायक, स्टेनोग्राफर, ड्राईवर एवं सपोटिंग स्टॉफ की भर्ती हेतु न्यूनतम आवश्यक आदर्श		
	योग्यता में संशोधन को विश्वविद्यालय में लागू करने बाबत्। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों में सीनीयर साईन्टिस्ट कम हैड़, विषय वस्तु विशेषज्ञ, प्रोग्राम सहायक (कम्प्यूटर), प्रोग्राम सहायक (लैब टेक्नीशियन), फार्म मैनेजर, सहायक, स्टेनोग्राफर, ड्राईवर एवं सर्पोटिंग स्टॉफ की भर्ती हेतु न्यूनतम आवश्यक आदर्श योग्यता में संशोधन हेतु गठित समिति की अनुशंषा का अनुमोदन किया जाता हैं।		
स्वाकेराकृवि/बोम-105/ 2021-1/1410	(कार्यवाही : कुलसचिव) विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदो के आवेदन पत्र (स्कोर कार्ड सहित) ऑनलाईन आमंत्रित करने एवं आवेदन शुल्क		
	निर्धारण कर आवेदन शुल्क हेतु भी ऑनलाईन प्रक्रिया लागू करने बाबत्। प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदो के आवेदन पत्र (स्कोर कार्ड सिहत) ऑनलाईन आमंत्रित करने एवं आवेदन शुल्क निर्धारण कर आवेदन शुल्क हेतु भी ऑनलाईन प्रक्रिया लागू करने की अनुमित प्रदान की जाती है साथ ही शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र, आवदेन शुल्क निर्धारित एवं भर्ती से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपित को अधिकृत किया गया।		
	(कार्यवाही : कुलसचिव/प्रभारी सिमका)		





अन्य प्रकरण प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष की अनुमति से।

नुलपित ने सदन को अवगत कराया कि सीधी भर्ती/कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत् शैक्षणिक कार्मिकों के पदौन्नित हेतु संबंधित सभी विभागाध्यक्षों से संबंधित अधिष्ठाता/संकाय अध्यक्षों (तीनो संकाय कृषि/गृह विज्ञान/कृषि व्यवसाय प्रबंधन) के माध्यम से विषय विशेषज्ञों की सूची प्राप्त हो गई हैं जो कि प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं। जिसे प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही : निजी सचिव, कुलपति)

2. डॉ॰ पी.एस. शेखावत, अनुसंधान निदेशक एवं सदस्य प्रबन्ध मण्डल ने कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, जैसलमेर में खोलने बाबत् प्रकरण सदन के समक्ष रखा। प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और पारित किया गया कि जैसलमेर जिले की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुये कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, जैसलमेर में खोले जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए।

(कार्यवाही : निदेशक अनुसंधान/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/विशेषाधिकारी)

3. डॉ० विमला डुंकवाल, अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय एवं सदस्य प्रबन्ध मण्डल ने सीधी भर्ती में रोस्टर लागू करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित किया गया कि राज्य सरकार के रोस्टर संबंधी नियमों को विश्वविद्यालय में लागू किया जाए।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

4. विशेषाधिकारी एवं विशेष आमंत्रित सदस्य ने अशैक्षणेत्तर कार्मिकों को पदौन्नित नियमों में राज्य सरकार के विभिन्न सेवा संवर्गों में अनुभव छूट को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित किया गया कि प्रकरण को राज्य सरकार में मार्ग दर्शन हेतु भेजा जाए।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

्री (कपूर शंकर मान)

कुलसचिव एवं सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल (प्रो० आर०पी० सिंह)

कुलपति एवं

अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल